कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-93/2017-18/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी

नगर पा लका परिषद, पौड़ी गढ़वाल

वषय : नगर पा लका परिषद, रामनगर का वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे 01 प्रस्तर, भाग-2(ब) में 06 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 93/2017-18/ दिनांक : /01/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-2(अ) के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साई इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अर्जुन सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री धीरेन्द्र सिंह खाती, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **29.03.2016** से **02.04.2016** तक संपादित की गयी थी जिसमें **2012-13** से **2014-15** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **269.13 हेक्टेयर**

(ii) जनसंख्या: **6,557**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **04**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **06**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **01 (नियमित) एवं 18 आउटसोर्सिंग पर**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **07 दुकानें एवं 01 कार्यालय भवन |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	55149660	30630390	78189396	55374873	17119484	11745735	0	77964183	0	36004139
2015-16	77964183	36004139	78833892	80335860	16021035	21793128	0	76462215	0	30232046
2016-17	76462215	30232046	80008978	95348924	30322804	32276758	0	61122269	0	28278092
कुल योग			**237032266**	**231059657**	**63463323**	**65815621**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2012-13 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	341000	341000	341000	0
2	राज्य वित्त आयोग	5598558	71895000	77493558	53144033	24349525
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	3762894	137746	3900640	569000	3331640
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	दैवीय आपदा (ब्याज सहित)	2464799	0	2464799	454081	2010718
7	जिला योजना	0	0	0	0	0
8	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (ब्याज सहित)	1993056	19494187	21487243	2217534	19269709
9	सांसद निधि/विधायक निधि (ब्याज सहित)	3645523	4618594	8264117	5940082	2324035
10	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
11	अवस्थापना विकास निधि (बस अड्डा))	4593109	3100438	7693547	5605000	2088547
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	14592147	2230052	16822199	1838211	14983988
	कुल योग	**36650086**	**101817017**	**138467103**	**70108941**	**68358162**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2013-14 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	7871000	7871000	7871000	0
2	राज्य वित्त आयोग	24349525	71175000	95524525	55027190	40497335
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	3331640	204493	3536133	0	3536133
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	दैवीय आपदा (ब्याज सहित)	2010718	0	2010718	64000	1946718
7	जिला योजना	0	0	0	0	0
8	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (ब्याज सहित)	19269709	773014	20042723	316000	19726723
9	सांसद निधि/विधायक निधि (ब्याज सहित)	2324035	1374222	3698257	489803	3208454
10	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
11	अवस्थापना विकास निधि (बस अड्डा))	2088547	19727815	21816362	19604000	2212362
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	14983988	5841209	20825197	6172872	14652325
	कुल योग	**68358162**	**106966753**	**175324915**	**89544865**	**85780050**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	12365000	12365000	8244000	4121000
2	राज्य वित्त आयोग	40497335	71175000	111672335	45502999	66169336
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	3536133	1963845	5499978	0	5499978
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	दैवीय आपदा (ब्याज सहित)	1946718	750000	2696718	0	2696718
7	जिला योजना	0	0	0	0	0
8	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (ब्याज सहित)	19726723	780562	20507285	1795700	18711585
9	सांसद निधि/विधायक निधि (ब्याज सहित)	3208454	1108994	4317448	1706035	2611413
10	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
11	अवस्थापना विकास निधि (बस अड्डा))	2212362	151083	2363445	0	2363445
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	14652325	7014396	21666721	9871874	11794847
	कुल योग	**85780050**	**95308880**	**181088930**	**67120608**	**113968322**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	19352000	19352000	10530000	8822000
2	राज्य वित्त आयोग	66903489	71175000	138078489	87615278	50463211
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	4739964	198963	4938927	133	4938794
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	519950	519950	499950	20000
5	आई.ई.सी.	20000	25000	45000	0	45000
6	दैवीय आपदा (ब्याज सहित)	1946718	250000	2196718	810785	1385933
7	जिला योजना	0	400000	400000	0	400000
8	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (ब्याज सहित)	18667184	752748	19419932	19231651	188281
9	सांसद निधि/विधायक निधि (ब्याज सहित)	2398988	749283	3148271	1204239	1944032
10	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	8000000	8000000	0	8000000
11	अवस्थापना विकास निधि (बस अड्डा))	2459192	74860	2534052	0	2534052
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	9558726	8833978	18392704	7733646	10659058
	कुल योग	**106694261**	**110331782**	**217026043**	**127625682**	**89400361**

लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |						
(ii) इकाई द्वारा अनुदान पंजिका नहीं बनाई जा रही है |						

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	12365000	12365000	8244000	4121000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	4121000	11879000	16000000	16000000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	19352000	19352000	10530000	8822000
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	300000	300000	300000	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	519950	519950	499950	20000

भाग दो (अ)

प्रस्तर 1: `1.76 करोड़की आगणित धनराशि से निर्माणाधीन पार्किंग, पालिका गेस्ट हाउस एवं टेरिस गार्डन केअनियमितनिर्माण कार्य का निर्धारित अवधि मे पूर्ण न होना एवं निर्माण कार्य पर वर्तमान तक ` 0.72 करोड़ अधिक व्यय किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 3 के नियम संख्या 29 में निर्माण कार्य की कार्यविधि को वर्णित किया गया है। नियम संख्या 29(तीन) के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन, 29(चार) के अनुसार वित्तीय संस्वीकृति व 29(छः) के अनुसार तकनीकी संस्वीकृति प्राप्ति की जानी चाहिए। नियम संख्या 30(1) के अनुसार कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय अथवा इससे संबन्धित दायित्व लिया जाय जब (क) सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया हो (ख) बजट की उपलब्धता हो एवं सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की संस्वीकृति उपलब्ध हो, (ग) उपयुक्त विस्तृत डिजाइन अनुमोदित हो।अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (संसोधित) के नियम संख्या 13(5) के अनुसार सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों की विक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि से दो सप्ताह, इनमे जो भी बाद में दिया जाय।

नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल के एजेंसी चौक स्थित पार्किंग, पालिका गेस्ट हाउस एवं टेरिस गार्डन के निर्माण कार्य से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि नगर पालिका बोर्ड द्वारा जून 2015 में उक्त कार्य का प्रस्ताव पारित कर `1.76 करोड़ धनराशि का आगणन तैयार करवाया गया था। उक्त निर्माण कार्य हेतु `1.76 करोड़ की डी. पी. आर बनाकर अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग पौड़ी गढ़वाल को तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा 30 मार्च 2016 को उक्त कार्य हेतु तत्कालीन डी. एस. आर. के आधार पर `2.03 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जबकि उक्त कार्य हेतु तकनीकि स्वीकृति से पूर्व ही कार्य का आवंटन कर दिया गया था।

आगे जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु शासन से कोई भी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, कार्य स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व भूगर्भवेता से आवश्यक स्थलीय निरीक्षण नहीं करवाया गया था तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

उक्त कार्य हेतु अगस्त 2015 में निविदा आमंत्रित की गयी थी। पत्रावली की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा 18 अगस्त 2015 के "**अमर उजाला"** व**"दैनिक जागरण"**समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था जिसके अनुसार निविदा दस्तावेजों की विक्री 07 व 08 सितंबर 2015 तक निर्धारित मूल्य चुकाकर कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते थे एवं निविदा जमा करने की तिथि 10.09.2015 साँय 3:00 बजे थी। उक्त निविदा 10.09.2015 को ही साँय 4:00 बजे खोला जाना था। इकाई द्वारा निविदादाताओं को निविदा फार्म विक्री हेतु उपलब्ध करवाने एवं जमा करने हेतु न्यूनतम निर्धारित समयावधि (**दो सप्ताह**) भी नहीं दी गयी थी।नगर पालिका द्वारा उक्त कार्य की तकनीकि निविदा प्रतिवेदन में निविदा संबन्धित शर्तों में ठेकेदार के भविष्यनिधि कार्यालय में पंजीकरण, (रुपए डेढ़ करोड़ से अधिक का कार्य) पिछले पाँच वर्षों के अंतराल में प्रतिवर्ष सम्पन्न किया हो तथा पिछले पाँच वर्षों में तीन भवनों को बनाने का पहाड़ी क्षेत्र में अनुभव आदि की तुलना किए जाने का विवरण नहीं दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि जिन ठेकेदारों की तकनीकि निविदाएँ स्वीकृत की गयी थी, उनके द्वारा उक्त शर्ते पूरी की गयी थी अथवा नहीं? उक्त निर्माण कार्यों हेतु तीन ठेकेदारों की निविदाएँ प्राप्त हुयी थी जिनमे से दो ही ठेकेदारों की तकनीकि निविदा स्वीकृत की गयी थी। इकाई द्वारा उपलब्ध दो ही

ठेकेदारों की वित्तीय निविदाओं के आधार पर M/s दलीप कंस्टरक्सन की न्यूनतम वित्तीय निविदा होने पर निविदा से **0.40%** कम पर `**16852714/-**में कार्य आबंटित किया गया था।

इकाई के पत्रांक 561/न°पा°प°/रा°वि°-अवस्था./अनुबंध-कार्यादेश दिनांक 19 सितंबर 2015 के द्वारा M/s श्री दलीप कंस्टरक्सन को उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि `**16852714/-**में कार्य आबंटित किया गया था एवं गठित अनुबंध के अनुसार कार्य 340 दिन में पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार द्वारा 11/10/15 से उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जाना सूचित किया गया था। उक्त कार्य की देख-रेख हाउस होल्ड एसोसिएट, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा की जा रही थी।

आगे पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि इकाई द्वारा स्थल की उपलब्धता के अनुसार कार्य की मात्रा में कार्योत्तर वृद्धि की गयी एवं अतिरिक्त कार्य की लागत `65.55 लाख आंकलित की गयी थी। उक्त अतिरिक्त कार्य हेतु इकाई द्वारा कोई भी वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति नहीं ली गयी थी। इस अतिरिक्त कार्य का देख-रेख नगर पालिका स्तर से किया जाना प्रस्तावित था।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2017) तक उक्त ठेकेदार को ` **24783049/-** का भुगतान किया जा चुका था जिसका विवरण निम्नवत था: -

क्रमांक	**कोषालय e-Cheque ID No.**	**दिनांकित**	**धनराशि**	**टिप्पणी**
1.	PL4200803212150012	18/12/15	5270491.00	अग्रिम
2.	PL4200803205160012	25/05/16	3781839.00	1st चलित
3.	PL4200803208160015	31/08/16	3607794.00	2nd चलित
4.	PL4200803212160001	19/12/16	2152189.00	3rd चलित
5.	PL4200803202170009	21/02/17	1060778.00	4th चलित
6.	PL4200803203170028	22/03/17	3949158.00	5th चलित
7.	PL4200803207170001	03/07/17	4960800.00	6th चलित
		कुल योग =	**24783049.00**	

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गयी: -

1. इकाई द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु केवल पालिका बोर्ड स्तर से ही वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी थी। तकनीकि स्वीकृति अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग पौड़ी से 30/03/2016 को प्राप्त की गयी थी।

2. उक्त निर्माण स्थल पर पूर्व निर्मित चिल्ड्रेन पार्क के ध्वस्तिकरण हेतु भी शासन सेकोई अनुमति नहीं ली गयी थी।

3. उपरोक्त कार्य स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व भूगर्भवेता से आवश्यक स्थलीय निरीक्षण एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र प्राप्त किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि संबन्धित एजेंसी द्वारा निरीक्षण करवाया गया था परंतु संबन्धित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हैं।

4. इकाई द्वारा निविदादाताओं को निविदा फार्म विक्री हेतु उपलब्ध करवाने एवं जमा करने हेतु न्यूनतम निर्धारित समयावधि (**दो सप्ताह**) नहीं दिये जाने एवं उपलब्ध दो ही ठेकेदारों की वित्तीय निविदाओं के आधार कार्य आवंटित किए जाने के परिणामस्वरूप इकाई को प्रतिस्पर्दात्मक दरों का लाभ नहीं मिलने के संबंध में इकाई द्वारा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन दिया गया था।

5. उक्त निर्माण कार्य में भूमि की उपलब्धता को देखते हुये `65.55 लाख लागत से करवाए जा रहे अतिरिक्त कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी/शासन से आवश्यक वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति नहीं लिए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर ली गयी थी।

6. उक्त कार्य के मूल आंगणन बनाते समय `65.55 लाख लागत के अतिरिक्त कार्यों को प्रावधानित नहीं किए जाने के बारे में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भूमि मापन के उपरांत भूमि की उपलब्धता पर अतिरिक्त कार्य किया जाना निर्णीत किया गया था।

7. उक्त निर्माण कार्य के आरंभ (11/10/15) होने से लेखापरीक्षा तिथि तक दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने एवं कुल आंकलित धनराशि **`234.08 लाख (`168.53+`65.55)** के सापेक्ष `247.83 लाख व्यय के उपरांत भी उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्य में परिवर्तन किया गया था, कार्य अभी भी प्रगति पर है। उक्त कार्य का समस्त भुगतान राज्य वित्त आयोग निधि से किया जा रहा है।

8. इकाई द्वारा ठेकेदार को किए गए भुगतान `247.83 के सापेक्ष ली गयी कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Security) के संबंध में बताया गया कि ठेकेदार से कुल 11.96 लाख की प्रतिभूति प्राप्त की गयी थी, अवशेष धनराशि आगामी चलित बिलों से कटौती की जाएगी।

9. इकाई द्वारा ठेकेदार को चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम चलित बिल के रूप में किए भुगतान स्वीकृत निविदा से 0.40% अधिक पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को`39883.00 (0.40% of `9970736.00) का अधिक भुगतान किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश अधिक भुगतान किया गया था, आगामी चलित बिल से समायोजित कर लिया जाएगा।

10. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ निर्माण कार्य में उपयोग में लाये गए उप-खनिजों के बिलों/रवन्नो को संलग्न नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी दी गयी थी अथवा नहीं? इकाई द्वारा ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी न काटे जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि आगामी चलित बिलों/अंतिम बिल के साथ ठेकेदार से बिल/रवन्नों की प्रतियाँ प्राप्त कर रॉयल्टी की गणना की जाएगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

11. इकाई द्वारा ठेकेदार को किए गए भुगतान `247.83 के सापेक्ष 1% श्रमिक उपकर (Labour Cess) की कटौती नहीं किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कटौतियाँ अंतिम बिल से कर ली जाएंगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उपरोक्त कार्य शासन से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना करवाया जा रहा था। उपरोक्त कार्य की तकनीकि स्वीकृति भी कार्य आवंटन के पश्चात ली गयी थी। निर्माण कार्य करने से पूर्व भूगर्भवेता से आवश्यक स्थलीय निरीक्षण एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र से संबन्धित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। उक्त कार्य में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित `65.55 के अतिरिक्त कार्यों हेतु कोई भी तकनीकि स्वीकृति नहीं ली गयी जिससे पूर्व स्वीकृत डिजाइन में किए जा रहे फेर-बदल की तकनीकि रूप से समीक्षा नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का सम्यक अनुपालन न किए जाने से इकाई को गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों का वांछित लाभ नहीं मिल पाया। उक्त कार्य हेतु कुल आंकलित धनराशि `234.08 लाख (`168.53+ `65.55) के सापेक्ष `247.83 लाख व्यय होने एवं कार्य हेतु निर्धारित समय बीत जाने के उपरांत भी कार्य अपूर्ण था। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान, रॉयल्टी व लेबर सैस की कटौती न किया जाना एवं नियमानुसार कार्यपूर्ति प्रतिभूति न लिया जाना आदि अनियमितताएँ की गयी थी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो – अ

प्रस्तर 1: पालिका निधि से रु 96.71 लाख का व्यावर्तन कर मेले के आयोजन पर निष्फल व्यय एवं उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना |

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3 (13) में प्रावधानित है कि वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगा:

(एक) अधिप्राप्ति कर्ता प्रधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले।

(दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए।

(तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार समान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और;(चार) कोई भी प्रधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

इकाई की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2017) में अभिलेखों की जांच में देखा गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा वर्षों 2014 से 2017 के दौरान ग्रीष्मोत्सव/शरदोत्सव के आयोजनो पर कुल रुपये 96.71 लाख[1] के व्यय किए गए थे, व्यय की गयी राशि पालिका निधि से निकाली गयी थी, जिसके संबंध में बोर्ड मे यह प्रस्ताव पारित किए गये थे कि जैसे ही मेला निधि में शासन से धनराशि अवमुक्त होती है, तो उसका समायोजन पालिका निधि में किया जाएगा। जून- 2017 में उप जिलाधिकारी (बा), पौड़ी द्वारा आपत्ति की गयी थी, कि बोर्ड प्रस्ताव के अपेक्षा के अनुरूप शासन के द्वारा संदर्भित वर्षो के दौरान कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी थी, पूर्व में व्यय धनराशि के समायोजित न होने पर भी पुनः आगे के ग्रीष्मोत्सव मेले के आयोजनो हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना नियमों के अनुकूल नहीं था । व्यय किए जा रहे धनराशि में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली - 2008 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित था, जैसा कि उप जिलाधिकारी (बा), पौड़ी पत्र (जून 2017) में पुनः निर्देशित किया गया था।

आगे देखा गया कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जा रहे थे। मेले के दौरान रु 3.00 लाख तक के भुगतान किसी उपयुक्त छपे बिल के प्रस्तुति के बिना नकद में किए गए थे जो कि नियमानुसार उपयुक्त नहीं था। पत्रावली की जांच में देखा गया कि संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड शासन द्वारा रु 2.00 लाख की प्रतिपूर्ति की गयी थी (अगस्त 2015) जबकि उस वर्ष के मेला आयोजन पर रु 23.52 लाख का व्यय किया था। मेले के आयोजनो पर व्यय राशि के प्रतिपूर्ति हेतु मेले मे लगे दुकानों/वेंडरों से किसी प्रकार की वसूली संबंधी दस्तावेज़ पत्रावली मे उपलब्ध नहीं थे। लेखा परीक्षा तिथि तक (दिसंबर 2017) शासन द्वारा कोई भी धनराशि निर्गत नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, शासन से धन प्राप्ति की प्रत्याशा में प्रस्ताव स्वीकृत करा कर मेलों के आयोजनो पर पालिका निधि एवं अन्य विकास कार्यों के लिए आवंटित धन को व्यावर्तित कर मेलों का आयोजन कराया गया था जिससे इकाई को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं मिला। इस पर होने वाले व्यय के समायोजन हेतु शासन से अपेक्षित राशि प्राप्त नहीं हुई इस प्रकार बोर्ड के समक्ष पालिका द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्रस्ताव पारित कराया गया, जिसका संज्ञान उप जिलाधिकारी (बा), पौड़ी द्वारा भी लिया गया था।

---

[1]ग्रीष्मोत्सव 2014: रु 15.00 लाख, 2015: रु 23.52 लाख, 2016: रु 20.00 लाख एवं 2017: रु 21.82 लाख शरदोत्सव: 2014: रु 7.59 लाख तथा 2015: रु 8.78 लाख, कुल व्यय : रु 96.71 लाख

लेखा परीक्षा मे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2017) इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य मे उपयुक्त बिल लेकर ही भुगतान किया जाएगा, धनराशि निर्गत करने के संबंध मे शासन से पत्राचार किया जाएगा तथा कराये जा रहे मेले के औचित्य के संबंध मे इकाई कोई उत्तर न दे सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन स्तर पर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं था एवं धनराशि भी नहीं दी गयी थी। लगाया जा रहा मेला ऐसे स्थान पर आयोजित कराया जा रहा था, जहां पर स्थान की कमी के कारण मेले की अवधि में दुकान / स्टॉल एवं अन्य वेंडरो से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था ताकि आयोजन के व्यय की क्षति पूर्ति की जा सके इस दशा में आयोजित किया जा रहा मेला केवल पालिका निधि का निष्फल व्यय था।

इस प्रकार रु 94.71 लाख (कुल व्यय मे से शासन द्वारा निर्गत रु 2.00 लाख को छोड़कर) का व्यावर्तन कर उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली- 2008 के प्रावधानों के विरुद्ध व्यय किया गया था तथा रु 3.00 लाख की सीमा तक के अलग अलग बिलों का नकद भुगतान बिना बिल एवं आवश्यक कटौतियों के किया गया था, तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2: नगर पालिका परिषद के पुराने गेस्ट हाउस का अनियमित ध्वस्तिकरण एवं `1.20 लाख के निष्प्रयोज्य मलवे की आर्थिक क्षति।

नगर पालिका परिषद पौड़ी की निर्माण कार्यो से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि नगर पालिका द्वारा द्वारा पत्रांक 720/न.पा.प./2013-14 दिनांकित 22 अक्टूबर 2013 के माध्यम से अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो.नि.वि. पौड़ी को पालिका के पुराने गेस्ट हाउस का निरीक्षण कर उसका डिप्रीसिएटेड कास्ट प्रेषित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था ताकि पालिका द्वारा मूल्यांकन के आधार पर तोड़ने हेतु टेंडर आमंत्रित किया जा सके। उक्त के तदक्रम में सहायक अभियंता, निर्माण खंड, लो.नि.वि. पौड़ी एवं नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी के द्वारा पालिका गेस्ट हाउस का दिनांक 12/12/2013 को सयुंक्त निरीक्षण कर भवन को "उपयोग हेतु सुरक्षित न होना" प्रमाणित किया गया था।

इकाई द्वारा उक्त भवन के निर्माण व लागत मूल्य के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए जा सके थे। इकाई द्वारा उक्त भवन का न तो वर्तमान मूल्य का आंकलन किया गया था और न ही मरम्मत के संबंध में कोई निरीक्षण/प्राक्कलन बनाया गया था। उक्त भवन के ध्वस्तिकरण हेतु भी कोई अनुमति नहीं ली गयी थी। सहायक अभियंता निर्माण खंड, लो.नि.वि. पौड़ी द्वारा भवन को उपयोग हेतु सुरक्षित न होना के प्रमाण पत्र के आधार पर एवं अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के मौखिक आदेश पर ही उक्त भवन के ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी थी।

आगे पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लो.नि.वि. पौड़ी द्वारा उक्त भवन के ध्वस्तिकरण हेतु को `1.22 लाख का आगणन प्रेषित किया गया था।इकाई द्वारा मार्च 2014 में `121177/- व्यय कर उक्त भवन का ध्वस्तिकरण किया गया था। उक्त ध्वस्तिकरण से प्राप्त मलवा/निष्पयोज्य सामग्री का आगणन कर विक्रय मूल्य `119500/- निर्धारित किया गया था। इकाई द्वारा ध्वस्तिकरण के तीन वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत भीउक्त मलवे/निष्पयोज्य सामग्री की लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2017) तक नीलामी नहीं की गयी थी जिससे उक्त सामग्री के नष्ट होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गयी: -

1. नगर पालिका के पास उपरोक्त गेस्ट हाउस के निर्माण/मूल्य संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

2. अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लो.नि.वि. पौड़ी द्वारा निर्गत किए गए प्रमाण पत्र में भवन के क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के उपरांत उपयोग हेतु सुरक्षित नहीं होना बताया गया था। जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि उपरोक्त भवन मरम्मत योग्य नहीं था एवं भवन का ध्वस्तिकरण किया जाना आवश्यक था। उपरोक्त भवन की मरम्मत कर उपयोग में लाये जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने बताया कि उक्त भवन के मरम्मत हेतु कोई प्राक्कलन इकाई द्वारा नहीं बनाया गया था।

3. उपरोक्त भवन के ध्वस्तिकरण का निर्णय किसकी संस्तुति के आधार पर एवं किस स्तर पर लिये जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया था। इस संबंध में शासन से कोई पत्राचार नहीं किया गया था। उक्त भवन की वर्तमान मूल्य का आंकलन नहीं किया गया था जिस कारण उपरोक्त भवन की डिप्रीसिएटेड कास्ट उपलब्ध नहीं थी।

4. उपरोक्त भवन के ध्वस्तिकरण के उपरांत तीन वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्राप्त मलबे की आतिथि तक नीलामी न किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा नीलामी की प्रक्रिया अपनायी गयी थी परंतु कोई भी निविदा प्राप्त न होने के नीलामी नहीं की जा सकी।

5. उपरोक्त भवन के ध्वस्तिकरण से प्राप्त निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न होने की दशा अभिरक्षा एवं सामग्री का सक्षम प्राधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने के बारे में पुछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि सामग्री पालिका बारातघर में सुरक्षित रखी गयी है एवं समय-समय पर सामग्री का निरीक्षण किया जाता है परंतु इस संबंध में इकाई द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा नगर पालिका के पुराने भवन का बिना नियमित कार्यवाही के ध्वस्तिकरण किया गया था एवं उससे प्राप्त 1.20 लाख मूल्य के मलबे/निष्प्रयोज्य सामग्री की आतिथि तक नीलामी न करवाकर राजस्व की क्षति की है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 3 : उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का उल्लंघन कर ` 151.71 लाख की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का चौडीकरण कराया जाना तथा चट्टान कटान से प्राप्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि `13,97,974/- को राजकोष में जमा न कराया जाना |

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (संशोधित 2015) के नियम 13(1) के अनुसार,"` **60.00 लाख (रूपये साठ लाख) तथा उससे अधिक, तक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाय** |" तथा नियम 42(1) के अनुसार, "**कार्यों के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग हैं, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिए ली जाय | मात्र इसलिए कार्य के अलग-अलग टुकड़े न किए जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेनी पड़े** |"

नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ` 151.71 लाख की लागत से निम्नलिखित कार्य कराये गये:-

क्रं.सं.	निधि का नाम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि)`लाख में(
01.	राज्य वित्त आयोग	कोटद्वार रोड पर छतरीधार से आगे ई की ओर लगभग .सी.टी. 6 लम्बाई में एवं .मी 100-अन्दर की ओर बिना ब्लास्ट .मी 7 किए चट्टान कटान कार्य|	79.24
02.	राज्य वित्त आयोग	वार्ड नं .08 में ई .मी 150 से छतरीधार की ओर लगभग .सी.टी. 6 लम्बाई में तथा- अन्दर की ओर .मी 7अतिरिक्त चट्टान कटान कार्य	72.47
		कुल	**151.71**

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं:-

(i) इकाई द्वारा उपरोक्त दोनों कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 13(1) के अनुसार खुली विज्ञापन निविदा द्वारा न कराकर केवल नगर पालिका में पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से कोटेशन के आधार पर कराया गया जिसके कारण नगर पालिका के बाहर पंजीकृत ठेकेदारों को इस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल सका जिसके फलस्वरूप इकाई को अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त नहीं हो सका |

(ii) उपरोक्त दोनों कार्य, जोकि एक ही परियोजना के भाग थे, को इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 42(1) का उल्लंघन कर टुकड़ों में विभाजित कर कराया गया |

(iii) राज्य वित्त आयोग निधि से उपरोक्त कार्यों हेतु `151.71 लाख की राशि खर्च की गई परन्तु इकाई द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु शासन स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई |

(iv) विभागीय अभियन्ता द्वारा तैयार किये गये आगणनों के अनुसार उपरोक्त दोनों कार्यों हेतु ठेकेदार द्वारा कुल 9077.75 घन मीटर चट्टान का कटान किया गया तथा जिसका निस्तारण भी स्वयं ठेकेदार के द्वारा किया गया जिसके सापेक्ष **`13,97,974/-** (9077.75 घन मी. x @`154 प्रति घन मी.) की रॉयल्टी की वसूली ठेकेदार से कर इकाई द्वारा राजकोष में जमा कराई जानी थी परन्तु न तो इकाई ओर न ही ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी की कोई धनराशि राजकोष में जमा कराई गई |

(v) राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के बावजूद इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से `151.71 लाख की धनराशि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण पर खर्च किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं था |

उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बंध में इंगित किये जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी | इकाई ने बताया कि उपरोक्त कार्यों पर व्यय करने से पूर्व शासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है | चट्टान के कटान से प्राप्त उपखनिजों के सम्बंध में इकाई ने बताया कि उपरोक्त कार्यों से प्राप्त उपखनिजों का इकाई द्वारा न तो कोई प्रयोग किया गया है ओर न ही इकाई द्वारा उपरोक्त उपखनिजों का कोई विक्रय किया गया है | इकाई ने बताया कि उक्त कार्यों से प्राप्त उपखनिजों का ठेकेदार द्वारा स्वयं निस्तारण किया गया है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कार्यों को कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था | इकाई द्वारा बिना किसी उचित कारण के नये ठेकेदारों के पंजीकरण पर वर्ष 2013 से निरन्तर रोक लगाई जा रही थी जिससे यह स्पष्ट था कि इकाई द्वारा जानबूझकर नये ठेकेदारों को निविदा में भाग लेने से रोका जा रहा था | इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने से पूर्व शासन स्तर से अनुमति ली जानी चाहिए थी | इसके अतिरिक्त यदि चट्टान कटान से प्राप्त उपखनिजों का ठेकेदार द्वारा स्वयं निस्तारण किया गया था तो इकाई द्वारा ठेकेदार से उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की वसूली कर राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी क्योंकि इकाई द्वारा ठेकेदार के साथ जो अनुबन्ध किया गया था उसके अनुसार ठेकेदार को चट्टान कटान से प्राप्त उपखनिजों को प्रयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था | इकाई द्वारा ठेकेदार से उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की वसूली न करना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है |

अतः इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का उल्लंघन किये जाने तथा ठेकेदार से रॉयल्टी की वसूली कर राजकोष में जमा न किये जाने के कारण हूई राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 04: `662.02 लाख की स्वीकृत धनराशि से निर्माणाधीन पब्लिक पार्किंग, कार्मिक/अधिकारी आवास व गेस्ट हाउस का अनियमित क्रियान्वयन ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 3 के नियम संख्या 29 में निर्माण कार्य की कार्यविधि को वर्णित किया गया है। नियम संख्या 29(तीन) के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन, 29(चार) के अनुसार वित्तीय संस्वीकृति व 29(छः) के अनुसार तकनीकी संस्वीकृति प्राप्ति की जानी चाहिए। नियम संख्या 30(1) के अनुसार कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय अथवा इससे संबन्धित दायित्व लिया जाय जब (क) सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया हो (ख) बजट की उपलब्धता हो एवं सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की संस्वीकृति उपलब्ध हो, (ग) उपयुक्त विस्तृत डिजाइन अनुमोदित हो।उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (संसोधित) के नियम 13 (1) के अनुसार 60 लाख या उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री/निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति हेतु कम से कम दो व्यापक प्रचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाय एवं नियम संख्या 13(5) के अनुसार सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों की विक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि से दो सप्ताह, इनमे जो भी बाद में दिया जाय।

नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल के पुराने गेस्ट हाउस वाली भूमि पर पब्लिक पार्किंग, गेस्ट हाउस व स्टाफ क्वार्टर के निर्माण संबन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया गया कि इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से उक्त निर्माण कार्य हेतु धनराशि ` 690.22 लाख (4% कंटेंजेन्सी जोड़कर) का आंकलन तैयार कर लोक निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति ली गयी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य की डी. पी. आर. निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिहस्ताक्षरित की गयी थी: -

1. कार्य का सम्पादन vetted ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाय।

2. उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय।

3. स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व आवश्यक भूमि की उपलब्धता एवं भूगर्भवेता से स्थलीय निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

4. कार्य पर अनुबंध तभी गठित किए जाय जब उनके भुगतान हेतु आवश्यक वित्तीय स्वीकृति शासन/सक्षम स्तर प्राप्त हो तथा धनराशि आबंटित हो।

आगे जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु शासन से कोई भी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, कार्य स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व भूगर्भवेता से आवश्यक स्थलीय निरीक्षण नहीं करवाया गया था तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

पत्रावली की जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा केवल 19 जून 2016 के "**अमर उजाला"** समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था जिसके अनुसार निविदा दस्तावेजों की विक्री 15 जुलाई से 16 जुलाई 2016 को प्रातः 10:00 बजे से साँय 5:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते थे एवं निविदा जमा करने की तिथि 19.07.2016 साँय 5:00 बजे थी। उक्त निविदा 20.07.2016 को खोला जाना था जिसे इकाई द्वारा16 अगस्त

2016 को खोला गया था। इकाई द्वारा निविदादाताओं को निविदा फार्म विक्री हेतु उपलब्ध करवाने एवं जमा करने हेतु न्यूनतम निर्धारित समयावधि (**दो सप्ताह**) भी नहीं दी गयी थी।

उक्त निर्माण कार्य हेतु तीन ठेकेदारों (श्री इंदर सिंह बिष्ट, श्री हरेन्द्र सिंह पँवार एवं श्री अशोक सती) द्वारा निविदा दी गयी थी जिनमे से दो ठेकेदारों ((श्री अशोक सती एवं श्री हरेन्द्र सिंह पँवार) द्वारा जमा की गयी निविदा में आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न न होने के कारण तकनीकी अर्हता पूर्ण नहीं की गयी थी तथा गठित समिति द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी थी जिसके फलस्वरूप उक्त कार्य हेतु केवल एक ही ठेकेदार की वित्तीय निविदा शेष थी। नगर पालिका द्वारा उपलब्ध एक ही ठेकेदार (श्री इंदर सिंह बिष्ट) की निविदा को बिना किसी प्रतिस्पर्दात्मक दरों के ही स्वीकृत कर लिया गया था जो कि अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध था एवं इकाई को निविदा से प्राप्त होने वाली प्रतिस्पर्दात्मक दरों से वंचित रहना पड़ा।

आगे जाँच में पाया गया कि उक्त ठेकेदार द्वारा दी गयी दरें मूल आगणन की दरों से अधिक होने के कारण इकाई द्वारा ठेकेदार को दरों पर पुनः विचार करने हेतु आग्रह किया गया था फलस्वरूप ठेकेदार मूल आगणन की दरों से 0.25% कम पर संबन्धित कार्य को करने हेतु तैयार हो गया था। इकाई द्वारा ठेकेदार के साथ उक्त निर्माण कार्य को धनराशि `6,62,02,764/- (`छः करोड़ बासठ लाख दो हजार सात सौ चौसठ मात्र) में पूर्ण करवाए जाने हेतु **20/12/2016** को अनुबंध गठित किया गया था।

पत्रावली में संलग्न ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रथम चलित बिल की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा भुगतान किए गए चलित बिल को **स्वीकृत दरों से 0.25% कम दर** के स्थान पर ठेकेदार द्वारा **नेगोसिएसन से पूर्व में दी गयी दरों से 0.25% कम दर** पर तैयार कर भुगतान किया गया था जिससे ठेकेदार को प्रथम चलित बिल में **`739081/-**का अधिक भुगतान किया गया था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा ठेकेदार के चलित बिल से जमानत राशि/लेबर सैस/रॉयल्टी की नियमानुसार कटौती भी नहीं की जा रही थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि उक्त कार्य हेतु शासन से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी, बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर कार्य करवाया जा रहा था। उक्त कार्य स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व भूगर्भवेता से आवश्यक स्थलीय निरीक्षण करवाया गया था परंतु रिपोर्ट/आख्या उपलब्ध नहीं थी।स्थानीय विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र प्राप्त किए जाने हेतु पत्राचार किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में कार्य किया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (संसोधित 2015) का सम्यक रूप से अनुपालन न किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गलत दरों से गणना करने के फलस्वरूप प्रथम चलित बिल में धनराशि **`739081/-** का अधिक मापन कर ठेकेदार को अधिक भुगतान किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि त्रुटिपूर्ण दरों से अधिक भुगतान का समायोजन द्वितीय/आगामी चलित बिलों में कर लिया जाएगा। ठेकेदार के आगामी चलित बिलों से जमानत राशि/लेबर सैस/रॉयल्टी की नियमानुसार कटौती भी सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु शासन से वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य आरम्भ किया गया था। इकाई द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किए जाने के कारण इकाई को पुनः निविदा से प्राप्त होने वाली प्रतिस्पर्दात्मक दरों से वंचित रहना पड़ा था। चलित बिलों में त्रुटिपूर्ण दरों से गणना किए जाने के फलस्वरूप ठेकेदार को `7.39 लाख का अधिक भुगतान किया जाना एवं चलित बिलों से नियमानुसार जमानत राशि/लेबर सैस/रॉयल्टी की कटौती न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 05: गृहकर एवं दुकान किराये की वसूली `89.09 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर एवं दुकान किराया किसी भी नगर पालिका की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

नगर पालिका परिषद, पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर तथा दुकान किराये की वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	5657793	4171595	9829388	4166135 **(42%)**	5663253
02.	2015-16	5663253	4088670	9751923	2377299 **(24%)**	7374624
03.	2016-17	7374624	4195477	11570101	3108433 **(27%)**	8461668

तालिका 2: दुकान किराया वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	1009747	637824	1647571	713639 **(43%)**	933932
02.	2015-16	933932	637824	1571756	640282 **(41%)**	931474
03.	2016-17	931474	696062	1627536	1180059 **(73%)**	447477

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर एवं दुकान किराये की कुल बकाया धनराशि **`89.09 लाख {(गृहकर `84.62 लाख+दुकान किराया `4.47 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **24** से **42** प्रतिशत तथा दुकान किराये के रूप में केवल **41** से **73** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17

जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य की अधिकता तथा स्थानीय राजनीति के कारण पूर्ण वसूली नहीं हो पा रही है | बकायादारों को नोटिस जारी कर पूर्ण वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर एवं दुकान किराये की बकाया वसूली `89.09 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग II-'ब'</u>

प्रस्तर 06: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `4,26,764/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा- पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के चयनित निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार **09** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`4,26,76,332/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`4,26,764/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे बताया कि लेबर सेस की धनराशि **`4,26,764/-** को संबन्धित ठेकेदारों से वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2012-13 से 2016-17 तक)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
						जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2014-15	राज्य वित्त	श्री मुकेश नेगी	वार्ड नं.-01, बैंजवाडी में बड़ी पुलिया के पास क्षतिग्रस्त पुस्ता एवं सड़क निर्माण कार्य	1444374	14444	0	14444
2	2014-15	राज्य वित्त	श्री संदीप काला	वार्ड नं. 04 अपर बाजार में पार्किंग के ऊपर दुकान व गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य	1040409	10404	0	10404
3	2015-16	राज्य वित्त एवं अ.वि.नि.	मै. दलीप कंस्ट्रक्सन	एजेंसी चौक पर गेस्ट हाउस एवं पार्क निर्माण कार्य	24783000	247830	0	247830
4	2015-16	राज्य वित्त	श्री शशि प्रसाद उनियाल	वार्ड नं. 02 में जिला जज आवास से पब्लिक स्कूल तक ईंट खड़ंजा एवं नाली निर्माण कार्य	314591	3146	0	3146
5	2015-16	राज्य वित्त	श्री जसपाल सिंह नेगी	वार्ड नं. 01 में सर्किट हाउस किंग क्लेशवर मन्दिर जाने वाले पैदल मार्ग पर भट्ट जी के घर की ओर तथा रतूड़ी जी के घर की ओर रास्ता एवं पुस्ता आदि का निर्माण कार्य	1469961	14700	0	14700
6	2015-16	राज्य वित्त	श्री मुकेश रावत	वार्ड नं. 01 में सुरेन्द्र सिंह के घर से चंदोला जी के घर तक रेलिंग, रास्ता एवं पुस्ता निर्माण कार्य	711478	7115	0	7115
7	2016-17	राज्य वित्त	श्री इन्दर सिंह बिष्ट	नगर पालिका परिसर में पब्लिक पार्किंग, कार्मिक/अधिकारी आवास एवं गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य	10515787	105158	0	105158
8	2016-17	केन्द्र वित्त	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	वार्ड नं. 01 में मुख्य मार्ग देवप्रयाग रणजीत सिंह के घर से नीचे हिल इंटर नेशनल स्कूल तक नाले का निर्माण कार्य तथा रास्ते का निर्माण कार्य	748443	7484	0	7484
9	2016-17	राज्य वित्त	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	वार्ड नं. 08 में लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पीछे से राहुल तड़ियाल के घर तक रास्ता आदि का निर्माण कार्य	1648289	16483	0	16483
				कुल योग	**42676332**	**426764**	**0**	**426764**

भाग दो – ब

प्रस्तर 07 : **राज्य वित्त मद अंतर्गत रु 10.25 लाख की लागत से निर्मित किए गये गेस्ट हाउस के 19 माह से अनुपयोगी पड़े रहने तथा अनुबंध की शर्तो के पालन न किए जाने, अभिलेखो मे किए जा रहे परिवर्तनों की स्वीकृति न लिया जाना।**

राज्य वित्त मद अंतर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा निर्माण कार्य प्रस्तावित किए गए थे जिसका विवरण निम्न लिखित है:

मद का नाम	विवरण	
कार्य का नाम	**(i)** वार्ड 04 अपर बाज़ार में पार्किंग के ऊपर दुकान व गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य	**(ii)** वार्ड 04 मे रामलीला ग्राउंड जाने वाले मार्ग एवं अपर बाज़ार के मध्य दुकानों का निर्माण कार्य
कार्य के आगरण का मूल्य	रु 10.25 लाख	रु 3.69 लाख
निविदा/आवंटन	रु 10.23 लाख	रु 4.72 लाख
कार्य की स्थिति	पूर्ण	पूर्ण

उपरोक्त कार्यों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि गेस्ट हाउस निर्माण हेतु गठित एवं स्वीकृत आगणन (वर्ष 2014-15, तिथि का उल्लेख नहीं) रु 10.25 लाख को बिना किसी आधार के रु 0.24 लाख बढ़ाकर रु 10.49 लाख कर दिया गया था जिस पर तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी। इसी प्रकार, रामलीला ग्राउंड जाने वाले मार्ग एवं अपर बाज़ार में दुकान निर्माण हेतु गठित आगणन रु 3.69 लाख को भी रु 4.72 लाख कर दिया गया था जिसका कोई आधार उल्लिखित नहीं किया गया था और न ही उसकी तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी। स्थानीय समाचार पत्र में निविदा सूचना प्रकाशित कर तथा प्राप्त तीन निविदाओं के आधार पर प्रथम कार्य का आवंटन (दिसम्बर 2014) रु 10.23 लाख पर कर दिया गया था तथा फरवरी - 2015 में निम्न शर्तों के अधीन अनुबंध गठित किया था:

(i) यदि मेरे (ठेकेदार) द्वारा तय समयसीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो मेरे बिल से 2 से 5 प्रतिशत कि धनराशि की कटौती कर ली जाए।

(ii) प्रत्येक कार्य का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ती पर फोटोग्राफ लाना आवश्यक होगा, अन्यथा बिल का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

ठेकेदार के प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही कर कार्य समाप्त होने की समय सीमा मे एक वर्ष की वृद्धि (अप्रैल 2016) की गयी थी। शर्तों के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य से संबन्धित फोटोग्राफ नहीं प्रस्तुत किए गए थे तथा विलंब से कार्य के निष्पादन हेतु कोई कोई दंड का आरोपण नहीं किया गया था। इसी प्रकार, अक्तूबर 2012 मे निविदा सूचना प्रकाशित कर कार्य का आवंटन किया गया था तथा गठित अनुबंध (नवम्बर 2012) मे भी कार्य की लागत रु 3.69 लाख से बढ़ाकर रु 4.72 लाख कर दिया गया था जिसका कोई आधार उल्लिखित नहीं था एवं इसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गयी थी। संपादित कार्य की लागत में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गयी थी।

इस प्रकार, दोनों कार्यों के आंगणित लागत में बिना स्वीकृति के वृद्धि की गयी थी, कार्य के सम्पादन मे समय सीमा में वृद्धि पर कोई दंड का आरोपण नहीं किया गया था। अनुबंध के शर्तों के अनुपालन मे कार्य के प्रारम्भ, क्रियान्वयन एवं समापन स्तर का कोई फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं था तथा कार्य के लागत में बिना किसी स्वीकृति के अभिलेखो से उपरिलेखन द्वारा लागत बढ़ाया गया था, जो अमान्य था। रु 10.25 लाख की लागत से किए गये गेस्ट हाउस जिसका निर्माण 19 माह पूर्व (अप्रैल 2016 मे) हो गया था, उससे किसी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी तथा गेस्ट हाउस अनुपयोगी पड़ा था।

लेखा परीक्षा (दिसम्बर 2017) मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में अनुबंध की शर्तो का पालन किया जाएगा तथा आगणन मे किए गये परिवर्तनों की स्वीकृति ली जाएगी।

इस प्रकार, अनुबंध की शर्तो के पालन न किए जाने, अभिलेखो मे किए जा रहे परिवर्तनों की स्वीकृति न लिए जाने एवं रु 10.25 लाख की लागत से निर्मित किए गये गेस्ट हाउस के 19 माह से अनुपयोगी पड़े रहने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 8(अ) : नवनियुक्त कर्मचारियों को माह मार्च 2017 का त्रुटिपूर्ण वेतन भुगतान के संबंध में।

नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल, के माह मार्च 2017 के वेतन बिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न लिखित कर्मचारियों को 25 मार्च 2017 को मूल वेतन 5200/- + ग्रेड वेतन 1800 पर नगर पालिका में नियुक्त किया गया था जिसके तदक्रम में उक्त कर्मचारियों को मार्च 2017 का वेतन भुगतान त्रुटिपूर्ण किया गया था: -

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	अनुमन्य वेतन (मू. वे. + ग्रे. वे. + महँ. भत्ता)	आहरित वेतन	अंतर
1.	संजीव – 1	सफाई कर्मी	**3525.00**	**2864.00**	**661.00**
2.	संजीव – 2	सफाई कर्मी	**3525.00**	**2864.00**	**661.00**
3.	श्री राहुल	सफाई कर्मी	**3525.00**	**2864.00**	**661.00**
4.	श्री कपिल	सफाई कर्मी	**3525.00**	**2864.00**	**661.00**
5.	श्री अशोक	सफाई कर्मी	**3525.00**	**2864.00**	**661.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि त्रुटिवश कम भुगतान हो गया था, संबन्धित कर्मचारियों को उक्त वेतन का शीघ्र भुगतान कर लिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की लापरवाही से उक्त कर्मचारियों को वित्तीय हानि हुयी है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 08 (ब): श्री महेंद्र कुमार यादव, अधिशासी अधिकारी को वाहन भत्ता के रूप में 25,200/- का अनियमित भुगतान।

नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल, के वेतन बिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि श्री महेंद्र कुमार यादव, कर एवं राजस्व अधीक्षक को अगस्त 2015 से अधिशासी अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का प्रभार सौंपा गया था। श्री महेंद्र कुमार यादव द्वारा अगस्त 2015 से अप्रैल 2017 तक की अवधि में अधिशासी अधिकारी के पद के दायित्वों का निर्वहन किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा शासकीय वाहन (एम्बेस्डर UA-12 2627) का उपयोग किया गया था। उक्त वाहन की लॉग बुक की नमूना जांच में पाया गया कि अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में शासकीय वाहन का उपयोग किया गया था तथा वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि श्री महेंद्र कुमार यादव, अधिशासी अधिकारी को उक्त अवधि में वाहन भत्ता 1200/- प्रतिमाह की दर से 25,200/- का (21 x 1200 = 25,200/-)भुगतान भी किया गया था जो कि अनुमन्य नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उक्त अधिकारी से वाहन भत्ते की वसूली कर राजकोष में जमा किए जाने की कार्यवाही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा संबन्धित अधिकारी को वाहन भत्ते के रूप में धनराशि 25,200/- का अनुचित भुगतान किया गया था।

अतः संबन्धित अधिकारी से धनराशि 25,200/- के अनुचित भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 09 : विभिन्न ठेकों/किराये हेतु दी गई अचल संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली के कारण शासन को `36,741/- के राजस्व की हानि |

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवम् इसी अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्दि हो सके। **नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म.नि.नि./2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए |** इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबन्ध स्टाम्प की धारा (2)(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

नगर पालिका परिषद, पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा किराये/ठेकों पर दी गई अचल सम्पत्तियों के अनुबन्धों की पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान ठेकों/किराये हेतु दी गई अचल संपत्ति पर संलग्नक के अनुसार `36,741/- के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपरोक्त ठेकों हेतु निविदा जारी करते समय निविदा की शर्तों में स्टाम्प शुल्क का उल्लेख किया गया था परन्तु कार्यादेश के समय त्रुटिवश स्टाम्प शुल्क का उल्लेख नहीं किया जा सका था | इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित ठेकेदारों/किरायेदारों से स्टाम्प शुल्क की वसूली कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विभिन्न ठेकों पर देय समस्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के बाद ही कार्यादेश जारी करने चाहिए थे | इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण शासन को `36,741/- के राजस्व की हानि हुई है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों/किराये पर दी गई अचल सम्पत्तियों पर ठेकेदारों/किरायेदारों से वसूली गई कम स्टाम्प ड्यूटी का विवरण

क्रं.सं.	ठेके/किराये का प्रकार	ठेकेदार/किरायेदार का नाम	ठेके/दुकान/मकान का स्थान	अवधि	किराये की कुल धनराशि	स्टाम्प ड्यूटी		
						जो वसूल की जानी थी	जो वसूल की गई	अन्तर
1	गेस्ट हाउस किराया	अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो.नि.वि.	गेस्ट हाउस, समीप रामलीला मैदान, पौड़ी	01.03.14 से 28.02.16	252048	5041	110	4931
2	गेस्ट हाउस किराया	अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो.नि.वि.	गेस्ट हाउस, समीप रामलीला मैदान, पौड़ी	29.02.16 से 28.02.18	283560	5671	110	5561
3	तहबाजारी एवं पार्किंग	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्री रघुबीर सिंह	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.06.14 से 31.03.15	415000	8300	0	8300
4	तहबाजारी	श्री विकास नेगी पुत्र श्री धर्म सिंह नेगी	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	345000	6900	0	6900
5	पार्किंग	श्री विकास नेगी पुत्र श्री धर्म सिंह नेगी	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	120000	2400	0	2400
6	तहबाजारी	श्री अनिल रावत पुत्र श्री गजे सिंह रावत	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	355000	7100	0	7100
7	कमरा किराया	सहायक महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम कोटद्वार, पौड़ी	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत बस अड्डे पर कक्ष	27.01.17 से 26.01.22	84960	1699	150	1549
				कुल योग	**1855568**	**37111**	**370**	**36741**

भाग II-'ब'

प्रस्तर 10 : निर्माण कार्य के बिल से `27,763/- की रॉयल्टी की कम कटौती किया जाना |

नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के चयनित कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा `**16,48,289/-** की लागत से **वार्ड नं. 08 में लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पीछे से राहुल तड़ीयाल के घर तक रास्ता आदि का निर्माण** कराया गया था | विभागीय अभियन्ता द्वारा की गई रॉयल्टी की गणना के अनुसार इकाई द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य के अन्तिम बिल से `**38,306/-** की रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी थी परन्तु इकाई द्वारा केवल `**14,543/-** की रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष में जमा कराई गई | इस प्रकार इकाई द्वारा `**27,763/-** की रॉयल्टी की कम धनराशि राजकोष में जमा कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि त्रुटिवश रॉयल्टी की सम्पूर्ण धनराशि की कटौती नहीं की गई | इकाई ने आगे बताया कि ठेकेदार के आगामी बिल से की रॉयल्टी की कटौती कर राजकोष में जमा करा दी जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई के लेखा विभाग द्वारा निर्माण कार्य के बिल का भुगतान करते समय सभी गणनाओं की अच्छी तरह जाँच की जानी चाहिए थी तथा रॉयल्टी की सम्पूर्ण धनराशि की कटौती कर राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः इकाई द्वारा निर्माण कार्य के बिल से `27,763/- की रॉयल्टी की कम कटौती किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग II-'ब'

प्रस्तर 11: ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना |

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पालिका परिषद, पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के ठोस अपशिष्ट से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 10 मीट्रिक टन अपशिष्ट के सापेक्ष केवल 08 मीट्रिक टन का ही उठान किया जा रहा था | इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन किया जा रहा था परन्तु वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था | ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु खुले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था | इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के मानदंडों जैसे भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु भी नियमावली के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था |

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट के पास बिन एवं वाहनों में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियाँ पाई गईं:-

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		आवश्यक्ता	उपलब्धता	कमी
बिन (1.0 घन मी(.		38	05	33
कूड़ा वाहन	डंपर प्लेसर	01	00	01
	छोटा हाथी	01	00	01
	महिंद्रा पिकअप	01	00	01

इस प्रकार नगर पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा नगर पालिका के पास आवश्यकता के सापेक्ष बिन एवं वाहनों की उपलब्धता में भी कमी पाई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु नियमावली में वर्णित मानदंडों का किसी भी स्तर पर अनुपालन नहीं किया जा रहा था |

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 12: धनराशि `51,42,887.00 की विद्युत सामग्री के क्रय में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत के बिन्दु-1 के अनुसार समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जाये ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। बिन्दु-2 के अनुसार जब तक इन नियमों एवं विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाय एवं समस्त अधिप्राप्तियाँ निविदा के माध्यम से की जाय। नियम 21 में कार्यपूर्ति प्रतिभूति के प्रावधान को वर्णित किया गया है।

नगर पालिका परिषद, पौड़ी के विद्युत सामग्री क्रयपत्रावलियों की लेखापरीक्षा जांच (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में निम्नांकित बिलों के माध्यम से धनराशि`**51,42,887.00**की विद्युत सामग्री का क्रय मै॰ शार्प ट्रेडिंग कार्पोरेशन, देहरादून से बिना निविदा/कोटेशन के किया गया था:

क्रमांक	बिल संख्या	दिनांक	व्यय धनराशि
1.	21328	24/12/2016	12128.00
2.	21583	28/02/2017	164880.00
3.	21124	09/10/2016	3091500.00
4.	21449	19/01/2017	402500.00
5.	21330	24/12/2016	66885.00
6.	20584	17/05/2016	263320.00
7.	20647	27/05/2016	36672.00
8.	20648	27/05/2016	15372.00
9.	20784	05/07/2016	866355.00
10.	21179	25/10/2016	74425.00
11.	21267	05/12/2016	148850.00
		कुल योग =	**51,42,887.00**

नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु कोई निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी थी। आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त फर्म के साथ आपूर्ति के संबंध में कोई अनुबंध नहीं गठित किया गया था एवं कोई प्रतिभूति भी नहीं ली गई थी। फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री के गुणवत्ता की नमूना जांच भी नहीं करवाई गयी थी। इस प्रकार नगर पालिका द्वारा वर्ष 2016-17 में धनराशि `**51,42,887.00 की** विद्युत सामग्री के क्रय में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि वर्ष 2015-16 में निविदा आमंत्रित की गयी थी, उसी दर पर सामग्री क्रय की गयी थी। फर्म से कोई अनुबंध गठित नहीं किया जा सका था एवं कोई भी कार्यपूर्ति प्रतिभूति नहीं ली गयी थी। फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता जांच नहीं करवाई गयी थी, केवल उपखंड अधिकारी, विद्युत विभाग, पौड़ी से जांच करवायी गयी थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्योकि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली प्रत्येक अवसर पर निविदा प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु प्रावधानित करता है। इकाई द्वारा `51,42,887.00 की विधयुत सामग्री के क्रय में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली  का अनुसरण न किए जाने से अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की गयी थी। ज्ञातव्य हो, कि विद्युत सामग्री की दरों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है।अतः वर्ष 2016-17 मे `51,42,887.00 मूल्य की विद्युत सामग्री के क्रय मे निविदा प्रक्रिया न अपनाया जाना उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली की अवहेलना थी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 13: `1499758/- की धनराशि से वाहन (एक्स यू वी-500) का अनधिकृत क्रय।

नगर पालिका परिषद पौड़ी के वाहन क्रय संबंधी पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा सितंबर 2014 में कार्यालय प्रयोग हेतु M/s देहरादून प्रीमियम मोटर प्राइवेट लिमिटेड से वाहन एक्स यू वी-500 का क्रय किया गया था जिस पर कुल व्यय 1499758/- (इन्शुरेंस व रोड टैक्स जोड़कर) किया गया था। उक्त क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वाहन क्रय हेतु उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार निविदा प्रक्रिया /शासन द्वारा निर्दिष्ट डी. जी. एस. & डी. दरों का अनुपालन नहीं किया गया था। आगे जाँच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त वाहन के क्रय से पूर्व इकाई के पास उपलब्ध स्टाफ कार को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी किए बिना एवं शासन से बिना कोई अनुमति लिए ही क्रय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इकाई के पास उपलब्ध स्टाफ कार पुरानी होने के कारण कार्यालय के प्रयोग हेतु एक्स यू वी-500 पालिका निधि से क्रय की गयी थी। वाहन के क्रय हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी एवं शासन से भी कोई अनुमति नहीं ली गयी थी, कार्योत्तर अनुमति लिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा बिना शासन की अनुमति एवं उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना ही `1499758/- की धनराशि से वाहन (एक्स यू वी-500) का क्रय किया गया था। इकाई द्वारा वाहन का क्रय सितंबर 2014 में किया जा चुका था जबकि इकाई के पास उपलब्ध स्टाफ कार मई 2017 तक उपयोग में लायी जा रही थी एवं लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2017) तक भी निष्प्रयोज्य घोषित नहीं हुयी थी।

अतः नगर पालिका द्वारा `1499758/- की धनराशि से वाहन का अनधिकृत क्रय का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 14: सेवा पुस्तिकाओं का अनियमित रख-रखाव एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के उपरांत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011 दिनांक 08/03/2011 के संलग्नक-2 के अनुसार छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए. सी. पी. के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है एवं पत्रांक वित्त (वे॰आ॰-सा॰नि॰) अनु॰-07 दिनांकित 07 अप्रैल 2011 के माध्यम से सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया गया है।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1253/IV(1)/01(21)/2011दिनांकित 08 दिसम्बर 2011 द्वारा उत्तराखंड राज्य के स्थानीय निकायों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में निर्देशित किया गया है जिसके अनुसार 01/01/2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड 1-एस (4440-7400) तथा ग्रेड वेतन 1300, 1400 एवं 1650 के स्थान पर वेतन बैंड -1 5200- 20200 व ग्रेड वेतन 1800 में उच्चीकरण काल्पनिक रूप से 01/01/2006 से एवं 24/03/2011 से वास्तविक लाभ/नगद भुगतान किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद,पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अधिकारियों/कर्मचारियों की चयनित सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं का वर्ष 2013-14 के उपरांत वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था। अवकाश खातों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है। छठवें वेतन आयोग के लागू होने/ वित्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण थे **(सेवा पुस्तिका में पायी गयी त्रुटियाँ संलग्नक "अ" पर अंकित)।**

आगे नगर पालिका परिषद के चयनित सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में संदर्भित शासनादेश के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया था।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन निर्धारण तिथि	अनुमन्य वेतन	निर्धारित किया गया वेतन
1.	श्री राजेन्द्र	सफाई कर्मी	07/12/2008	5200.00	4440.00
2.	श्री पप्पू	सफाई कर्मी	01/04/2011	5200.00	4440.00
3.	श्री गणेश	सफाई कर्मी	17/12/2008	5200.00	4440.00
4.	श्रीमति केशो	सफाई कर्मी	17/11/2006	5200.00	4440.00
5.	श्री प्रवीण कुमार	सफाई कर्मी	01/07/2011	5200.00	4440.00
6.	श्री नरेंद्र सिंह भण्डारी	चपरासी	17/02/2006	5200.00	4440.00
7.	श्री बीरेन्द्र सिंह	चपरासी	19/10/2007	5200.00	4440.00
8.	श्री बिब्बू	चपरासी	17/02/2006	5200.00	4440.00
9.	श्रीमति गीता देवी	सफाई नायिका	31/05/2014	5200.00	4440.00
10.	श्री छोटन	सफाई कर्मी	01/01/2006	5200.00	4440.00

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन शासनादेश के विपरीत त्रुटिपूर्ण निर्धारित किया गया था एवं उसी के अनुसार आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियों की गणना की गयी थी जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को निरंतर कम वेतन दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि सेवा पुस्तिकाओं में इंगित आपत्तियों का पुनः जांच कर निराकरण किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण को समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में जांच आवश्यक कार्यवाही/पुनः वेतन निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेशों का समुचित पालन न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है जिससे कर्मचारियों को समुचित वेतन भत्तों से वंचित रहना पड़ा है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक "अ"

नगर पालिका परिषद पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं की जांच का विवरण

क्रमांक	नाम	पदनाम	आपत्ति/टिप्पणी
1.	श्री सुरेश शाह	सफाई कर्मी	अवकाश लेखों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। 01/09/08 को प्रदत्त ए.सी.पी. के उपरांत आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई के स्थान पर 01 जनवरी से दी गयी थी।
2.	श्री संजीव-2	सफाई कर्मी	अवकाश लेखे में सेवा नियुक्ति पर अप्रैल 17 से जून 11 को उपार्जित अवकाश 08 दिन के स्थान पर 10 दिन अर्जित दर्शाये गए थे।
3.	श्री पप्पू	सफाई कर्मी	अवकाश लेखे में सेवा नियुक्ति पर अप्रैल 11 से जून 11 को उपार्जित अवकाश 08 दिन के स्थान पर 05 दिन अर्जित एवं 01/07/15 को उपार्जित अवकाश का जोड़ त्रुटिपूर्ण था (15+93 = 103 दर्शाया गया था)।
4.	श्रीमति कमला	सफाई कर्मी	छठवें वेतनमान लागू किए जाने के उपरांत कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरीयर प्रोन्नयन (ए॰सी॰पी॰) प्रावधानित किया गया है जो की 01/09/2008 से अनुमन्य किए गए थे। उक्त कर्मचारी 21/04/94 से नियमित कर्मचारी है परंतु उन्हे 01/09/2008 को 10 साल से अधिक वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर भी Istए॰सी॰पी॰का लाभ नहीं दिया गया था।
5.	श्री पूरण सिंह	सफाई कर्मी	01/09/08 को प्रदत्त ए.सी.पी. के उपरांत आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई के स्थान पर 01 जनवरी से दी गयी थी।
6.	श्री रमेश सिंह	सफाई कर्मी	01/09/08 को प्रदत्त ए.सी.पी. के उपरांत आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई के स्थान पर 01 जनवरी से दी गयी थी।
7.	श्री राणा लाल	चपरासी	छठवें वेतनमान लागू किए जाने के उपरांत कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरीयर प्रोन्नयन (ए॰सी॰पी॰) प्रावधानित किया गया है जो की 01/09/2008 से अनुमन्य किए गए थे। उक्त कर्मचारी Ist व 2nd ए॰सी॰पी॰का लाभ नहीं दिया गया था।
8.	श्री राकेश	सफाई कर्मी	01/07/15 को उपार्जित अवकाश का जोड़ त्रुटिपूर्ण था (117+16 = 117 दर्शाया गया था)।
9.	श्रीमति केशो देवी	सफाई कर्मी	01/01/15 के उपरांत उपार्जित अवकाश लेखे में योग त्रुटिपूर्ण थे।

10.	प्रवीण कुमार	सफाई कर्मी	01/01/15 के उपरांत अवकाश खातों का अद्यतन नहीं किया गया था।
11.	श्रीमती बालेश्वरी देवी	सफाई नायिका	छठवें वेतनमान लागू किए जाने के उपरांत कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरीयर प्रोन्नयन (ए°सी°पी°) प्रावधानित किया गया है जो की 01/09/2008 से अनुमन्य किए गए थे। उक्त कर्मचारी Istए°सी°पी°का लाभ नहीं दिया गया था। 01/07/2013 के बाद अवकाश लेखे त्रुटिपूर्ण बनाए गए थे।
12.	श्रीमति गीता देवी	सफाई नायिका	02/03/14 को उपार्जित अवकाश का योग त्रुटिपूर्ण था (18 – 13 = 07 दर्शाया गया था)।
13.	श्री राम किशन	सफाई कर्मचारी	छठवें वेतनमान लागू किए जाने के उपरांत कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरीयर प्रोन्नयन (ए°सी°पी°) प्रावधानित किया गया है जो की 01/09/2008 से अनुमन्य किए गए थे। उक्त कर्मचारी को Istए°सी°पी°का लाभ नहीं दिया गया था।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद- रूद्रप्रयाग** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **18 नवम्बर 2017** से **22 नवम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था प्रतिवेदन/.नि.संख्या-87/2015-16/566 दिनांकित 18.07.2016	शून्य	प्रस्तर संख्या 02 से 01	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्योंअभिलेखों से / यह स्पष्ट है कि इकाई द्वारानगर पंचायत क्षेत्र में स्थित आवासों का गृहकर हेतु मूल्यांकन कर गृहकर की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।	
			इकाई द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का डोरडोर कलेक्शन -टु-कर निस्तारित किया जा रहा है।ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अद्यतन स्थिति को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर प्रस्तर संख्या भाग II-ब के प्रस्तर संख्या के रूप में 02 प्रतिवेदित किया गया है|	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)